संख्या : 4260/26-2-03-4(9)/2000

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक / 16 जनवरी, 2004

विषय : समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित निजी क्षेत्र के विद्यालयों/ पाठशालाओं में रिक्त होने वाले पदों का अनुमोदन तथा नये पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक तत्कालीन निदेशक, श्री श्रीकृष्ण के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1981/सक/शिक्षा/2001, दिनांक 22-12-01 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में शासन द्वारा स्वीकृत पदों की रिक्ति में नियुक्ति का अनुमोदन निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची पर लिये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1386/26-3-92-9(9)/92, दिनांक 31मार्च,92 की शर्त संख्या-9 तथा शासनादेश संख्या-514/26-3-94-9(6)/93, दिनांक31मार्च,94 की शर्त संख्या-7 में यह उल्लेख है कि कार्यरत अध्यापकों के रिक्त होने वाले पदों पर तथा कार्यरत अध्यापकों के अतिरिक्त शेष पदों पर नियुक्तियां बिना शासन के आदेशों के नहीं की जायेगी। उक्त शासनादेशों में स्पष्ट निर्देशों के बाद भी निदेशक द्वारा इन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया जाना नियमानुसार नहीं है। यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी इन नियुक्तियों पर अनुमोदन सीधे प्रदान किया गया है। शासन द्वारा उक्त अनियमित कार्यवाही को गम्भीरता से लिया गया है।

2- समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में शासन द्वारा स्वीकृत पदों की रिक्ति में नियुक्ति का अनुमोदन उक्त शासनादेश दि0 31-3-92 तथा 31-3-94 की शर्तों के अनुरूप शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही नियुक्ति/वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाय तथा अब तक जिन मामलों में निदेशक

....2/

अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया गया है, उन्हें तत्काल शासन को संदर्भित किया जाय। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।

भवदीय

ह0/-
( चन्द्र प्रकाश )
सचिव।

संख्या:4260(1)/26-2-2003-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
4- समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित सभी विद्यालयों के प्रबंधकगण।
5- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

ह0/-
( एच0पी0 सिंह )
अनुसचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या-सी- 2861 /एक/शिक्षा/शा0प0/निर्देश/2003-04
लखनऊ : दिनांक: फरवरी 10, 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों को अपने स्तर से भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4- समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5- अनुसचिव, उ0प्र0शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2

( भोलानाथ सिंह )
निदेशक।

आनन्द 9204